R.E.O.- 184

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक : जोडि / अ.प्रनि / अ.अ. / पीपी एण्ड एम / फा० /प्रे० 3505 जोधपुर, दिनांक 17/6/10

आदेश

विषय :– दिनांक 1.4.2004 के पश्चात मांग पत्र जमा होने के बाद निरस्त की गई कृषि कनेक्शन पत्रावलियो को पुर्नजीवित करने के सबंध मे।

****

निदेशक मंडल की दिनांक 18.5.2010 को सम्पन हुई बैठक मे लिए गए निर्णयानुसार ऐसे आवेदको ने जिन्होने कृषि कनेक्शन नीति–2004 (सशोधित 18.9.2004) के अनुसरण में दिनांक 01.04.2004 के बाद मांग पत्र की राशि जमा करवा दी है किन्तु पत्रावलियां किसी भी कारण से निरस्त हो गई है, उन आवेदको की पत्रावलियॉ निम्न प्रावधान अनुसार पुर्नजीवित करने की स्वीकृति सम्बन्धित संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रकरण को अपने स्तर पर जांच कर जारी की जा सकेगी।

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियॉ दिनांक 1.4.2004 के बाद माग पत्र की राशि जमा करवाने के पश्चात किन्ही कारणो से निरस्त हो गयी है, उन्हे निगम द्वारा पुर्नजीवित करने के लिय सबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय मे रुपये 500 /– जमा करवाने होगे। तत्पश्चात पूर्ण प्रकरण सबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशाषी अभियन्ता एंव अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से उनकी अनुशषा सहित सम्बन्धित संभागीय मुख्य अभियन्ता को उनकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।
2. इन पुर्नजीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियो की प्राथमिकता पुर्नजीवित करने की राशि रुपये 500 /– जमा करवाने की तिथी से निर्धारित की जाएगी।

16/6

(के.आर.मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.–

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक (वित्त) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (जो.स.–द्वितीय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स.प्रथम / बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी,(ए एण्ड आर / .... / ....) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर / जयपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / परि. एव संधा. / सर्तकता / आई एण्ड एम / आर ए एण्ड सी / टी.डब्लू / वाणिज्य / एमएमसी / एमएण्डपी / बीएफएल)जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / बाडमेर / बीकानेर / जैसलमेर / चुरु / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ
- अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी. एवम प्रशिक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध करायें।